(2)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2021/
Manual no- 105/2021

(Bank Case)

इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता– एम–62–63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

– प्रार्थी

बनाम

1. पंकज कुमार प्रोपराईटर मैसर्स पंकज स्टोन इण्डस्ट्रीज **(ऋणी/ बंधककर्ता)**
   पताः सी–545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान
   दुसरा पताः जी–320ए, रोड नं. 6, आईपीआईए, कोटा
2. अलमबाई
   पताः सी–545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थितः–

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 20-10.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम–62–63 फर्स्ट फ्लोर कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 20.06.2017 को 31,65,000/– रूपये (अक्षरे इकत्तीस लाख पेषठ हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति प्लाट नं0 सी–545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 116.13 वर्गमीटर है। चतुःसीमा पूर्व में– पूर्व में प्लॉट नं. 554, पश्चिम में– प्लॉट नं. 556, उत्तर में–रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 564 है** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे रूपये 36,95,063/– (अक्षरे रूपये छत्तीस लाख पिचानवे हजार तिरेषठ मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.03.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति " व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 14.05.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति " व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 14.05.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "दैनिक नवज्योति " व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 14.05.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता मे **अचल सम्पत्ति प्लाट नं0 सी–545, इन्द्रा विहार, कोटा, राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 116.13 वर्गमीटर है। चतुःसीमा पूर्व में– पूर्व में प्लॉट नं. 554, पश्चिम में– प्लॉट नं. 556, उत्तर में–रोड, दक्षिण में– प्लॉट नं. 564 है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 20-10 .2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)